

संस्था के निबंधन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय: (यहाँ संस्था का नाम लिखें)
नामक संस्था के निबंधन हेतु आवेदन।

महाशय,

सविनय निवेदन के साथ कहना है कि मैं नामक संस्था के
निबंधन हेतु दो प्रतियों में निम्नांकित कागजात जमा कर रहा हूँ।

अनुरोध है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत इस संस्था को निबंधित करने
की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु०:

1. निबंधन शुल्क के रूप में जमा किए गए 50/- रू० से संबंधित चालान (मूलप्रति एवं छायाप्रति)
2. आमसभा का प्रस्ताव (दो प्रतियों में)
3. स्मृति पत्र (दो प्रतियों में)
4. नियमावली (दो प्रतियों में)
5. इस आशय का शपथ पत्र कि संस्था के आलेख्य में दी गई जानकारी सत्य है।
6. डाक टिकटयुक्त स्वपता लिखा दो लिफाफा।
7. पदाधिकारियों का आवासीय प्रमाण।
8. आधार/अन्य पहचान पत्र की छाया प्रति।

(संस्था की आमसभा द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं
हस्ताक्षर)

(संस्था के निबंधन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आलेख्य का नमूना)

संस्था की आमसभा की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक को “.....
यहाँ संस्था का नाम लिखें)“ नामक संस्था की आमसभा की बैठक संस्था के अध्यक्ष श्री/श्रीमति
..... की अध्यक्षता में संस्था के कार्यालय परिसर जो मकान संख्या
/होलिडिंग नं०-गली/रोड संख्या-मुहल्ला-
पोस्ट-थाना-ग्राम/शहर -जिला-
.....में सम्पन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए :-

प्रस्ताव सं०-1

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि “
(यहाँ संस्था का नाम लिखें)“ नामक संस्था का निबंधन संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत
करा लिया जाय।

प्रस्ताव सं०-2

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि निबंधन विभाग, झारखण्ड से इस संस्था को
निबंधित कराने हेतु सभी कार्रवाई करने हेतु संस्था के (पदनाम)
श्री/श्रीमति को प्राधिकृत किया जाय।

ह०/-
अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था की आमसभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है

अध्यक्ष

सचिव

(यहाँ संस्था का नाम भरे)

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :-
2. संस्था का निबंधित कार्यालय :- मकान संख्या...../होलिडिंग नं०-
गली/रोड का नाम-...../संख्या-
मोहल्ला-पोस्ट-
थाना-ग्राम/शहर-
जिला-
(जो लागू न हो उसे काट दें)
3. कार्यक्षेत्र :-
4. संस्था का उद्देश्य :- (उद्देश्य संक्षिप्त, स्पष्ट एवं विशिष्ट हों)
 1. सदस्य संघ सहायता समूहों के मध्य नियमित परस्पर अन्त क्रिया एवम् सम्बन्ध हेतु मंच उपलब्ध कराना और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तो नए स्वयं सहायता समूह के गठन में मदद करना ।
 2. सदस्य स्वयं सहायता समूहों को एन.यू.एल.ऍम सहित भारत सरकार एवम् राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराना और ऐसी संस्थाओं के साथ लीकेज स्थापित करना जो की उनके कल्याण हेतु प्रासंगिक हो तथा बीमा सुविधा ।
 3. एन.यू.एल.ऍम के तहत कोशल प्रशिक्षण एवम् लघु उधम स्थापना हेतु सहायता और सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सामाजिक सहयोग के लाभों तक सदस्य स्वयं सहायता समूहों की पहुँच बनाने हेतु उपयोगी सूचनाओं के प्रसारण अंग के रूप में कार्य करना ।
 4. नये सदस्य स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता एवम् क्षमता संवर्धन तथा वर्तमान सदस्य स्वयं सहायता समूहों के कार्यकलापों की नियमित निगरानी और क्षमता सुदृढ़ता ताकि क्रियाकलापों को सफलता पूर्वक जारी रखा जा सके ।
 5. नगर स्तरीय संघ में संघ एवम् उसके सदस्य स्वयं सहायता समूहों का सफल प्रतिनिधित्व करना ।
 6. सदस्यों के नेतृत्व कोशल का निर्माण एवम् विकास ताकि वे सदस्य स्वयं सहायता समूहों एवम् उनके संघों का प्रबंधन कर सकें ।
 7. ऐसी क्रिया कलापों को प्रारम्भ करना जिनसे सदस्य स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ हों किन्तु जिन्हें वे स्वयं न कर सकते हों जैसे की सदस्य स्वयं सहायता समूहों को बैंक संपर्क उपलब्ध कराना, सदस्य स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रस्तावों के निर्माण में पूर्ण सहयोग करना ।

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं :-

क्र०	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं० /होल्लिंग नं० गली/रोड सं०- मुहल्ला- पोस्ट- थाना- ग्राम/शहर- जिला- (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्री/सुश्री						
 पिता/पति का नाम						
2							
3							
4							
5							
6							
7							

टिप्पणी: पूर्णपता नहीं रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। हस्ताक्षर पूर्ण रूप से होना चाहिए प्राक्षर (Initial) मान्य नहीं होगा

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :-

क्र०	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं०/होलिडिंग नं० गली/रोड सं०- मुहल्ला- पोस्ट- थाना- ग्राम/शहर- जिला- (मकान अपना है या किराये का) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	श्री/सुश्री पिता/पति का नाम					
2						
3						
4						
5						
6						
7						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है

राजपत्रित पदा० (राज्य अथवा केन्द्रीय)
डाक्टर्स/ इंजीनियर्स/ नोटरी/ विद्यालय/
महाविद्यालय के प्राचार्य/ बैंक या इन्श्योरेन्स
ऑफिसर्स/ पब्लिक सेक्टर के पदाधिकारी आदि
(नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

(यहाँ संस्था का नाम भरें)

की

नियमावली

1. परिभाषा :-
 - (i) संस्था से अभिप्राय है :-
 - (ii) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति
 - (iii) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :-
 - (iv) आमसभा से अभिप्राय है :- संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा
 - (v) पदाधिकारी से अभिप्राय है :-
 - (vi) अधिनियम से अभिप्राय है :- संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. संस्था की सदस्यता की शर्तें :-
3. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :-
4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-
 - (i) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल वर्षों का होगा।
 - (ii)
 - (iii)
5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :-
6. पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :-
7. आमसभा का कार्य एवं अधिकार :-
 - (i) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन
 - (ii) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना
 - (iii) संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण की नियुक्ति करना
 - (iv) संस्था के स्मृतिपत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना
 - (v) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना
 - (vi)
 - (vii)

(क्रमांक i से v तक अनिवार्य है एवं अन्य कार्य एवं अधिकार आवश्यकतानुसार रख सकते हैं)

8. **आमसभा की बैठकें** :-
- (क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है
- (ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव की आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं
- (ग) **कोरम** :- आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50%+1)
- (घ) **बैठक की सूचना** :-
- (i) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी
- (ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जाएगी
9. **कार्यकारिणी समिति की बैठकें** :-
10. **आय का श्रोत** :-
11. **कोष की व्यवस्था/ बैंक खाते का संचालन** :-
- (क) संस्था के प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं के संयुक्त हस्ताक्षर की जाएगी
12. **अंकेक्षण** :-
- (क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा
- (ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा
13. **संशोधन** :- संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा

14. **पंजी का निरीक्षण** :- संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं
15. **कानूनी कार्रवाई** :- संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी
16. **संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-**
- (i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी
- (ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी
- (iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा

प्रमाणित किया जाता है कि यह ""

नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

संस्था निबंधन से संबंधित सामान्य निदेश

1. **निबंधन शुल्क :-**
 - (क) निबंधन शुल्क के रूप में 50/- रू0 संस्था के नाम से निबंधन शुल्क हेतु निम्नांकित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाता है -
"0030/स्टाम्प और पंजीकरण-03 पंजीकरण शुल्क-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत उपशीर्ष फर्म एवं सोसाइटी का निबंधन शुल्क"
 - (ख) चालान उसी जिला में जमा करना है जिस जिला में संस्था का निबंधित कार्यालय स्थित है।
2. संस्था का पता पूरा एवं स्पष्ट रहना चाहिए यथा मकान/होलिडिंग संख्या, गली/रोड संख्या, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर एवं जिला
3. (क) कार्यकारिणी सूची एवं आकांक्षी सूची में पदाधिकारियों/सदस्यों का नाम संक्षिप्त रूप से अंकित न होकर पूरा नाम अंकित किया जाना चाहिए
(ख) कार्यकारिणी सूची एवं आकांक्षी सूची के सदस्य/भाई/बहन/पिता/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी नहीं हो
4. **संस्था के सभी सदस्यों का आधार कार्ड/ अन्य पहचान पत्र की छायाप्रति A4 साईज में संलग्न करना आवश्यक है ।**
5. संस्था के नाम से ऐसा आभास न हो कि संस्था राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई संस्था है अथवा संस्था का नाम पूर्व से निबंधित संस्था से मिलता हो अथवा नाम से देश की सम्प्रभुता या सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े
6. संस्था का नाम उद्देश्य के अनुरूप हो
7. संस्था के उद्देश्य संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा 20 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही हों तथा उद्देश्य अधिक से अधिक किसी तीन क्षेत्रों जैसे साहित्य/विज्ञान/ललित/कला/शिक्षा/उपयोगी ज्ञान का प्रसार/राजनैतिक शिक्षा का प्रसार/दातव्य कार्य/पर्यावरण सुधार/कृषि/उद्योग आदि से ही संबंधित हो
8. आलेख्य मोटे अच्छी गुणवत्ता के कागज पर टंकित/मुद्रित हो तथा हस्ताक्षर को छोड़कर कोई भी अंश हस्तलिखित न हो
9. आवेदन पत्र के साथ स्वपता लिखा निबंधित डाक टिकट सहित दो लिफाफा भी संलग्न किया जाय ।
10. आलेख्य दो प्रतियों में जमा किया जाना है
11. आमसभा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इस आशय का शपथ पत्र दिया जाय कि संस्था के आलेख्य में दी गई जानकारी सत्य है
12. कार्यकारिणी एवं आकांक्षी सूची के सदस्यों का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटो स्मृति पत्र में चिपकाया जाना आवश्यक है
13. आवेदन पत्र एवं आलेख्य के सभी स्थानों पर पूर्ण हस्ताक्षर किया जाय। प्राक्षर (Initial) मान्य नहीं होगा
14. संस्था निबंधन हेतु आवेदन एवं पूर्ण आलेख प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित काउन्टर संख्या 10 पर लिया जायेगा। डाक द्वारा भी आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

निबंधन शुल्क :-

- (क) निबंधन शुल्क के रूप में 50/- रू0 संस्था के नाम से निबंधन शुल्क हेतु निम्नांकित शीर्ष में जमा किया जाता है - "0030/ स्टाम्प और पंजीकरण-03 पंजीकरण शुल्क-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत उपशीर्ष फर्म एवं सोसाइटी का निबंधन शुल्क"
- (ख) चालान उसी जिला में जमा करना है जिस जिला में संस्था का निबंधित कार्यालय स्थित है।

शपथ-पत्र का नमूना :-

मैं, पिता, उम्र, पता का निवासी हूँ।

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं संस्था का हूँ।
2. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस आलेख्य में दी गयी सारी जानकारी पूर्णतः सही है।
3. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस आलेख्य के कार्यकारिणी/आकांक्षी सूची में कोई भी व्यक्ति एक परिवार से नहीं है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित की जाने वाली
संस्थाओं का जाँच-पत्र।

संस्था का नाम :

क्र. सं.	विषय	अभ्युक्ति
1	संस्था का नाम	हाँ
2	संस्था निबंधन कराने हेतु संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन है।	हाँ
3	संस्था के निबंधन हेतु आमसभा द्वारा पारित प्रस्ताव है।	हाँ
4	निबंधन शुल्क चालान की मूल प्रति सही शीर्ष एवं उपशीर्ष जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।	हाँ
5	आलेख्य :- क) मोटे, अच्छी गुणवत्ता के कागज पर त्रुटिहीन, स्वच्छ रूप से अंकित/मुद्रत है।	हाँ
	ख) कोई अंश हस्तलिखित नहीं है।	हाँ
6	संस्था का नाम अंकित है।	हाँ
7	निबंधित कार्यालय का नाम, पता अंकित है।	हाँ
8	कार्यक्षेत्र अंकित है।	हाँ
9	नाम से सरकारी संस्था अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था का बोध नहीं होता है।	हाँ
10	नाम से देश की संप्रभुता या सामाजिक समरस्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।	हाँ
11	संस्था का उद्देश्य :- क) संस्था का नाम उद्देश्य के अनुरूप है।	हाँ
	ख) साहित्य, विज्ञान, ललित कला, उपयोगी ज्ञान का प्रसार, राजनैतिक शिक्षा का प्रसार, दातव्य कार्य के अनुरूप है।	हाँ
12	क) कार्यकारिणी के सदस्यों का पूरा नाम एवं पता अंकित है।	हाँ
	ख) निबंधन के आकांक्षी सदस्यों की सूची जिसमें पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, पेशा एवं कम-से-कम सात सदस्यों का पूर्ण हस्ताक्षर, जो किसी जिम्मेदार व्यक्ति (राजपत्रित पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक) द्वारा अभिप्रमाणित है जो संस्था का सदस्य नहीं है।	नहीं है
	ग) कार्यकारिणी एवं आकांक्षी सूची के सदस्य आपस में एक ही परिवार/सदस्य/भाई/बहन/पिता/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी तो नहीं है।	हाँ
13	नियमावली की परिभाषा अंकित है।	हाँ
14	सदस्यता एवं गठन का प्रावधान अंकित है।	हाँ
15	कार्यकारिणी का गठन का प्रावधान अंकित है।	हाँ
16	कार्यकारिणी समिति/पदाधिकारियों का अधिकार एवं कर्तव्य अंकित है।	हाँ
17	आमसभा का अधिकार एवं कर्तव्य अंकित है।	हाँ
18	कोरम (गणपूर्ति) कम-से-कम 1/3 सदस्य अंकित है।	हाँ
19	आय का श्रोत एवं कोष की व्यवस्था, रकम की निकासी कम-से-कम दो व्यक्तियों द्वारा किए जाने का प्रावधान अंकित है।	हाँ
20	निधि का अंकेक्षण :- क) अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है।	हाँ
	ख) निबंधन महानिरीक्षक द्वारा संस्था के खर्च पर अंकेक्षण का प्रावधान अंकित है।	हाँ
21	पंजी के निरीक्षण की व्यवस्था है।	हाँ
22	संस्था का विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था धारा-13 के अनुरूप है।	हाँ
23	नियमावली के अंत में तीन सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किया गया है।	हाँ
24	सभी सदस्यों का आधार कार्ड/अन्य पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	हाँ

आवेदक का हस्ताक्षर

